दूध का उत्पादन

2219. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :
श्री राम जेठमलानी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ वर्षों के दौरान देश में दूध के उत्पादन में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो 1988 के दौरान देश में दूध की प्रति व्यक्ति खपत कितनी थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश के कई हिस्सों में दूध की मांग कम होने के कारण अधिक दूध उत्पादन भी एक समस्या बन गया है ;

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या-क्या हैं जो इस प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं ; और

(ङ) क्या सरकार ने उन दूध उत्पादकों की, जिनके समक्ष यह समस्या उत्पन्न हो रही है, सुरक्षा के लिए कोई तात्कालिक कदम उठाये हैं, यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) और (ख) जी हां। 1988-89 के दौरान देश में दूध की प्रति व्यक्ति अनुमानित खपत प्रतिदिन 59.3 कि० ग्रा० थी।

(ग) और (घ) 1985-90 के दौरान सहकारी डेयरियों द्वारा विपणित दूध में लगभग 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि मुख्य रूप से सूखे की विद्यमान परिस्थितियों के कारण दूध की अधिप्राप्ति प्रतिदिन लगभग 79 लाख लीटर के स्तर पर रही थी। अतः प्रायः सभी राज्यों की दुग्ध सहकारी समितियां तरल दुग्ध के विपणन का विस्तार करने में धीमी थी। 1989-90 की बहुलता की अवधि के दौरान दुग्ध अधिप्राप्ति में मौसमी वृद्धि के साथ, कुछ राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश कर्नाटक तथा केरल में अनेक सहकारी दुग्ध संघों को दुग्ध परिसंस्करण, विपणन तथा दुग्ध सुखाने की क्षमताओं में बाधाओं के कारण दूध की संभाल करने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा।

(ङ) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड आपरेशन फ्लड-3 के अन्तर्गत दुग्ध परिसंस्करण तथा इसे शुष्क बनाने की क्षमताओं के विस्तार को उच्च प्राथमिकता दे रहा है।

Disciplinary action against Assistant Manager of NCCF (Delhi Branch)

2220. SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to refer to reply to Unstarred Question 1871 given in Rajya Sabha on 25th November, 1988 and state:

(a) what penalty was imposed on the said Assistant Manager in view of the then President NCCF and the findings of the Enquiry that Assistant Manager had committed "Procedural lapses" in the sale of Merchandise goods;

(b) what penalty has been awarded to him for the procedural lapses for excess supply of controlled cloth to Sikkim State;

(c) whether the said Assistant Manager was also alleged for molesting the lady co-worker in the office premises; and

(d) if so, what penalty was awarded to him for this immoral act?

THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI NATHU RAM MIRDHA): (a) No penalty was imposed on the Asstt. Manager in respect of the sale of general merchandise goods during 1978-79.

(b) A minor penalty of withholding of two annual increments without cumulative effect was imposed in December, 1989.

(c) and (d) There was a complaint alleging misbehaviour towards a lady co-

worker during 1977 which was investigated into by the NCCF and a warning was issued both to the Asstt. Manager and lady co-worker.

वृद्धों को पेंशन और शिक्षित युवकों आदि को बेरोजगारी भत्ते का दिया जाना

2221. डा० अबरार अहमद खान : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन देने, शिक्षित युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने और प्रत्येक युवक को काम का मौलिक अधिकार देने के लिए कोई नया कानून बनाने और संविधान में संशोधन करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो कब तक ;

(ख) वृद्ध व्यक्तियों और शिक्षित युवकों को क्रमशः कितनी पेंशन और बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा और इस प्रकार की पेंशन और बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए पात्र वृद्ध व्यक्तियों और शिक्षित युवकों की संख्या कितनी है; और

(ग) देश के युवकों को काम का मौलिक अधिकार कब तक दे दिये जाने की सम्भावना है और उपर्युक्त अधिकार से कितने युवकों के लाभान्वित होने की आशा है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) वृद्धावस्था पेंशन राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार का विषय है । ये पेंशनें सामान्यतः निराश्रितों, वृद्धों तथा असहाय विधवाओं को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी निधियों में से दी जाती हैं । ये पेंशनें राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए पेंशन नियमों तथा विनियमों द्वारा निर्धारित होती हैं । इस समय वृद्धावस्था पेंशन पर कोई केन्द्रीय कानून अपेक्षित नहीं है ।

(ग) सरकार प्रत्येक नागरिक को काम का अधिकार देने के लिए वचनबद्ध है तथा काम के अधिकार को संविधान में मूल अधिकार बनाने के लिए एक विधेयक लाने का प्रस्ताव करती है । अतिरिक्त ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं ।

खानों में दुर्घटनाएं

2222. डा० अबरार अहमद खान : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में किन-किन खानों में दुर्घटनायें हुई और इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गए और इसके लिए कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार थे और क्या दोषी अधिकारियों को किसी प्रकार का दंड दिया गया ;

(ख) क्या इन खानों में अब भी काय चल रहा है ;

(ग) मृतक व्यक्तियों के परिवारों को कितनी अनुग्रह राशि उपलब्ध कराई गई, और क्या उन व्यक्तियों के परिवार में से किसी को नौकरी उपलब्ध कराई गई है और क्या इन खानों में दुर्घटना घटने से पूर्व कोई तकनीकी जानकारी उपलब्ध थी, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) देश में उन खानों की संख्या तथा नाम क्या हैं जो कि तकनीकी दृष्टि से बन्द हो जानी चाहिए थीं परन्तु इनमें अब भी कार्य चल रहा है और इसके क्या कारण हैं और ये खाने कब तक बंद कर दी जायेंगी ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।